अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
35/2023	05/05/2023	05/06/2023

बउनवान

गिरिराज पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादी

बनाम

1. दानमल पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दाकलाँ जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

निर्णय

यह कि वाके ग्राम करवाड तहसील पीपल्दा कलाँ जिला कोटा राज० में वादी के तेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 131 रकबा 2.68 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है तथा के ग्राम करवाड में प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 132 बा 2.28 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित कृषि भूमि से संबोधित गा गया है।

यह कि वादी लगभग 40 वर्षो से खसरा नं. 132 रकबा 2.28 हैक्टर कृषि भूमि पर बेज काश्त है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में दर्ज है तथा वादी कम 1 लगभग 40 वर्षो से खसरा नं 131 रकबा 2.68 हैक0 कृषि भूमि पर काबिज है। जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के खातेदारी में दर्ज है और लगान सिंचाई भी वादी तेवादी कम 1 कब्जा के अनुसार ही जमा करवाते है।

यह कि वादी व प्रतिवादी कंम 1 सगे भाई है जो कि लगभग 40 वर्षो से कब्जा 1 के र काबिज काश्त है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी एक दूसरे के विपरीत दर्ज हो । जिससे केसीसी कृषि ऋण मुआवजा आदि में परेशानी आती है। .इसलिए वादी वाके

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

ग्राम करवाड खसरा नं. 132 रकवा 2.28 हैक्टर को वादी के खातेदारी में जिसमें वादी काबिज काश्त है तथा खसरा नं. 131 रकबा 2.68 हैक्टर प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में जिस पर प्रतिवादी कम 1 काबिज काश्त है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है कब्जा के संबंध में मौके पर कोई विवाद नहीं है ।

यह कि वाद कारण राजस्व रिकॉर्ड की नकले लेने पर उत्पन्न हुआ है।

यह कि प्रतिवादी कम 2 राजस्थान सरकार में प्रतिनिधी व लेण्ड होल्डर हैं जिनको वाद में पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध बाद लाने के लिए 80 सीपीसी के प्रावधानों के तहत 2 माह की मियाद का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं लेकिन बाद पत्र आवश्यक प्रकृति का है इसलिए वाद पत्र 80 (2) सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है अनुमति प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है।

यह कि न्यायालय श्रीमान को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह कि वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे :-

यह कि वाके ग्राम करवाड में स्थित आराजी खसरा नं. 132 रकवा 2.28 हैक्टर कृषि भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे तथा तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह कि वाके ग्राम करवाड में स्थित आराजी खसरा नं. 131 रकबा 2.68 हैक्टर कृषि भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 का नाम दर्ज किया जावे तथा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादी को दी जाये।

वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीकम 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीकम 2 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया तथा प्रतिवादीक्रम 2 का जवाब बंद किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 7 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रतिवादी क्रम 2 को लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। पक्षकारान द्वारा पत्रावली में आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 दोनों सगे भाई है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य पैतृक सम्पत्ति के विभाजन व मौके पर कब्जे काश्त को लेकर को लेकर है। प्रकरण में विवादित आराजी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

जमाबंदी सम्वत 2074–77 खसरा सं0 132 रकबा 2.28है0 कृषि भूमि वाके माल ग्राम करवाड भू0अभि0नि0 क्षेत्र करवाड तह0 पीपल्दा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार प्रतिवादी कम 1 दानमल पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी गिरिराज पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा जमाबंदी सम्वत 2074–77 वाके माल ग्राम करवाड पटवार हलका करवाड भू0अभि0नि0 क्षेत्र करवाड तह0 पीपल्दा में दर्ज खाता संख्या नया 80 पुराना 72 खसरा संख्या 31 रकबा 2.68है0 पर दर्ज खातेदार वादी गिरिराज पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर प्रतिवादी कम 1 दानमल पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाकर डिकी मुर्तिब की जावे। निर्णय आज दिनांक 05.06.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि.
सहायक कलक्टर
इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इक्साई

(आ 20 रूल 6–7 जाबता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर, फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

गिरिराज पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादी

बनाम

1. दानमल पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दाकलाँ जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुदद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी में निम्नानुसार ----- किया जाता है।

प्रकरण में विवादित आराजी जमाबंदी सम्वत 2074–77 खसरा सं0 132 रकबा 2.28है0 कृषि भूमि वाके माल ग्राम करवाड भू0अभि0नि0 क्षेत्र करवाड तह0 पीपल्दा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार प्रतिवादी कम 1 दानमल पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी गिरिराज पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा जमाबंदी सम्वत 2074–77 वाके माल ग्राम करवाड पटवार हलका करवाड भू0अभि0नि0 क्षेत्र करवाड तह0 पीपल्दा में दर्ज खाता संख्या नया 80 पुराना 72 खसरा संख्या 131 रकबा 2.68है0 पर दर्ज खातेदार वादी गिरिराज पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर प्रतिवादी कम 1 दानमल पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी करवाड का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाकर डिकी मुर्तिब की जावे।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज **05.06.2023** को डिक्री जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेंहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा
इटावा